FORB Learning Platform

स्क्रिप्ट: धर्म या विश्वास की आज़ादीकी विषय सूचि - माता-पिता और बच्चे

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 18 में माता-पिता और बच्चों के लिए धर्म या विश्वास की आज़ादी के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। माता-पिता और कानूनी अभिभावकों को अपने बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने, और परिवार के जीवन को अपने विश्वासों के अनुसार व्यवस्थित करने का अधिकार है।

मानव अधिकार केवल बालिगों के लिए ही नहीं हैं! बच्चों को भी धर्म या विश्वास की आज़ादी का अधिकार है - उदाहरण के लिए उनको धार्मिक या विश्वास समुदाय के जीवन का हिस्सा बनने का, और धार्मिक त्यौहारों या आराधना में भाग लेने का अधिकार है।

बच्चों को अपने माता-पिता या अभिभावकों की इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार भी है। अपने माता-पिता की इच्छाओं के खिलाफ उन्हें पाप-अंगीकृत करने वाले धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और जैसे ही बच्चे बडे होते हैं तो उनकी अपनी इच्छाओं को लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन अधिकारों के उल्लंघन के कई उदाहरण हैं। मध्य एशिया के देशों में, सोवियत के अतीत की विरासत का एक हिस्सा यह है कि सरकार समाज के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहती है। उदाहरण के लिए, ताजिकिस्तान में अंतिम संस्कार को छोड कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे धार्मिक आराधना या कार्यक्रम में भाग लेने से कानूनन प्रतिबंधित हैं। और अन्य मध्य एशियाई राज्यों में, स्कूली-आयु के बच्चे जो मस्जिदों और ईसाई गिरजों में जाते हैं या जो ग्रीष्मकालीन शिविरों जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, सरकारें उनसे पूछताछ कर उन्हें तंग करती हैं, साथ ही उन बच्चों की स्कूलों में सार्वजनिक निंदा की जाती है।

इसलिए कुछ सरकारें बच्चों को धर्म का पालन करने से रोकती हैं। कुछ अन्य सरकारें अल्पसंख्यकों के बच्चों को धार्मिक शिक्षा में भाग

लेने के लिए मजबूर करती हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें बहुसंख्यक धर्म में परिवर्तित करना होता है। यह इस तथ्य के बावजूद भी होता है कि राज्यों का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि बच्चों को न केवल सैद्धांतिक तौर पर बल्कि व्यावहारिक रूप से पापअंगीकृत वाले धार्मिक निर्देश से छूट मिले।

तुर्की में, कुछ सुधारों के बावजूद, धार्मिक संस्कृति और नैतिकता पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में अभी भी पापअंगीकृत करने वाले धार्मिक निर्देश शामिल हैं। यहूदी और ईसाई छात्रों को सैद्धांतिक रूप से इस से छूट दी गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसी छूट का दावा करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। और एलेवी, बहाई, नास्तिक या अज्ञेयवाद परिवारों के बच्चे, या वह छात्र जो अपनी इच्छा से ऐसे विश्वासों को मानते हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इन सभी उदाहरणों में, माता-पिता और बच्चों, दोनों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

बाल अधिकारों पर सम्मेलन (सी.आर.सी.) को आपनाने से पहले, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में वास्तव में बच्चे के अधिकारों पर विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई। सम्मेलन ने इसे बदल दिया, इस पर ज़ोर देते हुए कि बच्चे वास्तव में अधिकार धारक हैं, और अनुच्छेद 14 अनुसार उन्हे स्वम ही धर्म या विश्वास की आज़ादी का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 14 में बच्चों को स्वतंत्र और कमज़ोर दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया गया है, धर्म या विश्वास की आज़ादी के अधिकार का प्रयोग करते समय उन्हे माता-पिता की सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, विशेषकर राज्य के साथ संबंध में।

इस सम्मेलन में स्पष्ट है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित ही एक मात्र सिद्धांत है, जिस से सभी मामलों में मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यह बच्चों के उन अधिकारो पर भी ज़ोर देता है, जिसके अनुसार वे उन सभी मामलों पर अपनी राय व्यक्त कर सकें, जिन का प्रभाव उन पर पड्ता है। फिर भी, अक्सर बडे लोग ही, विशेषकर माता-पिता, बच्चों के सर्वोत्तम हितों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं।

हालांकि, कभी-कभी बच्चों और माता-पिता के हित अलग-अलग हो सकते हैं। इन मामलों में, बच्चों के धर्म और विश्वास की आज़ादी का अधिकार माता-पिता के अधिकारों की तुलना में संतुलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किस उम्र में बच्चे को धार्मिक प्रथाओं या विश्वास के बारे में अपना निर्णय लेने का अधिकार है? उदाहरण के लिए, क्या वे चर्च जाना चाहते हैं?

बच्चे के अधिकारों पर सम्मेलन के अनुसार, धर्म या विश्वास के मामलों में माता-पिता का मार्गदर्शन बच्चे की विकसित हो रही क्षमताओं के अनुसार अनुकूल ढंग से दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे बच्चा बढता और परिपक्व होता है, उसे और अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक अनुसार 18 साल की उम्र में व्यस्कता प्राप्त होती है, लेकिन सवाल तो यह है कि जैसे-जैसे वह बचपन के दौर में प्रगति करते हैं, कितनी आज़ादी और मानसिक परिपक्वता बच्चों के लिए निर्धारित हो; वह अधिकतर संस्कृतियों और संदर्भों पर भी आधारित है। विभिन्न देशों में अलग-अलग कानून और नियम हैं। स्वीडन में, उदाहरण के लिए, 12 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी इच्छा के विपरीत किसी एक धार्मिक समुदाय का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

बच्चे के अधिकारों पर सम्मेलन एक सार्वभौमिक मानदंड तय करता है, कि माता-पिता बच्चों का कैसे पालन-पोषण करते हैं - एक धर्म या विश्वास को मानने के कारण बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या विकास को नुकसान नहीं पहुंचना चहिए।

माता-पिता के धर्म या विश्वास की आज़ादी के अधिकार बनाम बच्चे के अधिकार से संबंधित मामले यदा-कदा ही अदालत में आते हैं।

हालांकि, अपने बच्चों को रक्त संक्रमण प्राप्त करने से रोकने के लिए यहोवा विट्नेस का अधिकार एक उदाहरण है, जहां अदालतों ने धर्म या विश्वास की आज़ादी के लिए माता-पिता के अधिकारों के खिलाफ़ और बच्चे के जीवन के अधिकार के पक्ष में फैसला दिया है।

सारांश में, इस फिल्म में हमने माता-पिता और बच्चों के अधिकारों को देखा है.

बच्चों को धर्म या विश्वास की आज़ादी का अधिकार है, और माता-पिता को अपने बच्चों को अपनी मान्यताओं के अनुसार पालन-पोषण करने का अधिकार है। यह इस तरीके से किया जाना चाहिए जो बच्चे की बढ़ती हुई परिपक्वता के अनुकूल हो, धर्म या विश्वास को मानने के कारण बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या विकास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उल्लंघनों के उदाहरणों में ऐसे राज्य शामिल हैं, जो बच्चों को धर्म का पालन करने से मना करते हैं, और ऐसे भी राज्य हैं जो अल्पसंख्यक बच्चों पर बहुसंख्यक धार्मिक निर्देश को मजबूरन थोपते हैं।

धर्म या विश्वास की आज़ादी के संबंध में माता-पिता और बच्चों के अधिकारों के बारे में आप अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट पर प्रशिक्षण सामग्री में देख सकते हैं, जिनमें वे सभी मानव अधिकार दस्तावेज़ शामिल हैं, जिनका ज़िक्र यहां किया गया है.

Copyright: SMC 2018